

भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी

क्रमांक: 1222-26/20

दिनांक:- 26/06/20

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 समिति की 05वीं बैठक दिनांक 25.06.2020

का कार्यवाही विवरण

उद्योग विभाग (ग्रुप 1) के द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.05.2018 द्वारा गठित भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण की मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 समिति की 05वीं बैठक डी.एम.आई.सी. जयपुर बीडा के आदेश दिनांक 28.11.2018 की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडा भिवाडी की अध्यक्षता में दिनांक 25.06.2020 को 01.00 बजे बीडा कार्यालय में आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारीगणों ने भाग लिया:-

- | | | | |
|----|-------------------------|---|------------|
| 1. | श्री विनित कुमार नगायच | अधिशाषी अभियन्ता, बीडा भिवाडी | सदस्य |
| 2. | श्री रतन लाल | का० तहसीलदार/भू०अ०निरीक्षक बीडा भिवाडी | सदस्य |
| 3. | श्रीमति इशिता जे कुमार | उप नगर नियोजक बीडा भिवाडी | |
| 4. | श्रीमति संध्या सैनी | सहा० नगर नियोजक बीडा भिवाडी | |
| 5. | श्री पूर्णा राम बेनीवाल | वरि० नगर नियोजक, बीडा भिवाडी | सदस्य सचिव |

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा प्रकरणों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तदुपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:

| | |
|------------------|---------------------------|
| बैठक | 05 |
| प्रकरण का प्रकार | ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु |
| दिनांक | 25.06.2020 |
| एजेण्डा | 01 |

| 1 | विषय | मै0 शिव शक्ति रियल होम प्रा0 लि0, 501-503 डायमण्ड टावर अजमेर रोड जयपुर द्वारा ग्राम खिजूरीवास तह0 तिजारा के ख0न0 1073, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123 वगैहरा के स्वीकृत प्लॉटेड आवासीय योजना के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 1 क्षेत्रफल 6358.90 वर्ग मी0 भूमि का आवासीय परियोजना मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3बी अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|---|-----------------|-------|---------|-----------------|----|--------------------------|--------------|----|-----|-----------|---------------|----|----|-------------|--------------|----|----|------------|--------------|----------|----|--------------------|---------------|--|----|------|------------|--|--|-----|-------------|--|
| 2 | आवेदक का नाम | मै0 शिव शक्ति रियल होम प्रा0 लि0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | भूखण्ड का क्षेत्रफल | 6358.90 वर्ग मी0 (लीजडीड के अनुसार) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई | 30 मी0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | भूखण्ड का उपयोग | आवासीय (मुख्यमंत्री जन आवास योजना) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | वर्तमान स्थिति | मै0 शिव शक्ति रियल होम प्रा0 लि0, 501-503 डायमण्ड टावर अजमेर रोड जयपुर द्वारा ग्राम खिजूरीवास तह0 तिजारा के ख0न0 1073, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123 वगैहरा के संशोधित ले-आउट के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 1 क्षेत्रफल 6358.90 वर्ग मी0 भूमि की लीजडीड बीडा द्वारा दिनांक 30.09.2016 को जारी की गई है तथा उक्त भूमि के भवन मानचित्र, भवन मानचित्र समिति की 57वी बैठक दिनांक 07.04.2017 में रखा जाकर दिनांक 26.07.2017 को जारी किये गये है। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3बी अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु आवेदन किया है। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | मौका रिपोर्ट | कनि0 अभियन्ता की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.06.2020 के अनुसार मौके पर भूखण्ड मै0 लावाण्या बिल्डर्स प्रा0 लि0 की भूमि मौके पर खाली है। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | प्रकरण के तथ्य एवं विचारणीय बिन्दु | <p>01. ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 1, मै0 लावाण्या बिल्डर्स प्रा0 लि0 एवं मै0 रवनदीप कोलोनाईजर्स लि0 ग्राम खिजूरीवास तह0 तिजारा के ख0न0 1073, 1118, 1050, 1061, आदि में स्वीकृत प्लॉटेड आवासीय योजना का भाग है। जिसकी लीजडीड ग्रुप हाउसिंग उपयोग हेतु दिनांक 30.09.2017 जारी की गई है तथा भवन मानचित्र 26.07.2017 को जारी किये गये है।</p> <p>02. पूर्व में स्वीकृत मानचित्रों 11 ई.डब्ल्यू एस. एवं 11 एल.आई.जी. ईकाईयों भी स्वीकृत की गई है। अतः विचारार्थ।</p> <p>03. आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व स्वीकृत मानचित्रों को निरस्त करने तथा उसके स्थान पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना - 2015 के प्रावधान 3बी के तहत आवासीय योजना विकसित करने हेतु स्वीकृति चाही गई है। अतः विचारार्थ।</p> <p>04. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान का विश्लेषण निम्ननुसार है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>उपयोग</th> <th>प्रतिशत</th> <th>भूखण्डों की सं0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>25 प्रतिशत भूखण्ड स्वामी</td> <td>6.24 प्रतिशत</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>एल.आई.जी.</td> <td>46.34 प्रतिशत</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>ई.डब्ल्यूएस</td> <td>6.73 प्रतिशत</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>व्यावसायिक</td> <td>2.62 प्रतिशत</td> <td>6 दूकाने</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>पार्क एवं सुविधाएं</td> <td>10.07 प्रतिशत</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>सड़क</td> <td>28 प्रतिशत</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>कुल</td> <td>100 प्रतिशत</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक द्वारा 25 प्रतिशत निजी उपयोग हेतु अनुज्ञेय भूमि के तहत 6.24 प्रतिशत भूमि 4 भूखण्ड (1, 14, 15, 16) के रूप में परियोजना में अलग-अलग स्थानों पर प्रस्तावित की गई है।</p> | क्र.स. | उपयोग | प्रतिशत | भूखण्डों की सं0 | 01 | 25 प्रतिशत भूखण्ड स्वामी | 6.24 प्रतिशत | 04 | 02. | एल.आई.जी. | 46.34 प्रतिशत | 42 | 03 | ई.डब्ल्यूएस | 6.73 प्रतिशत | 12 | 04 | व्यावसायिक | 2.62 प्रतिशत | 6 दूकाने | 05 | पार्क एवं सुविधाएं | 10.07 प्रतिशत | | 06 | सड़क | 28 प्रतिशत | | | कुल | 100 प्रतिशत | |
| क्र.स. | उपयोग | प्रतिशत | भूखण्डों की सं0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 25 प्रतिशत भूखण्ड स्वामी | 6.24 प्रतिशत | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. | एल.आई.जी. | 46.34 प्रतिशत | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | ई.डब्ल्यूएस | 6.73 प्रतिशत | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | व्यावसायिक | 2.62 प्रतिशत | 6 दूकाने | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | पार्क एवं सुविधाएं | 10.07 प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | सड़क | 28 प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | कुल | 100 प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05. नोटिफिकेशन दिनांक 03.04.2017 के बिन्दु सं0 11 के अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की परियोजना में EWS/LIG के क्षेत्रफल के 1 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर सामुदायिक भवन का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। अतः विचारार्थ।
06. परियोजना में पूर्व स्वीकृत मानचित्रों को निरस्त किए जाने के संबंध में 2 दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने के संबंध में विचारार्थ।
07. पूर्व स्वीकृत मानचित्रों में कोई बेचान/बुकिंग नहीं किए जाने के संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिये जाने बाबत। विचारार्थ।

निर्णय:- समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदित भूमि का ले-आउट प्लान मुख्यमंत्री जन आवास योजना में समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया:-

01. ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 1, मै0 लावाण्या बिल्डर्स प्रा0 लि0 एवं मै0 रवनदीप कोलोनाईजर्स लि0 ग्राम खिजूरीवास तह0 तिजारा के ख0न0 1073, 1118, 1050, 1061, आदि में स्वीकृत प्लॉटेड आवासीय योजना का भाग है। जिसकी लीजडीड ग्रुप हाउसिंग उपयोग हेतु दिनांक 30.09.2017 को जारी की गई है तथा भवन मानचित्र 26.07.2017 को जारी किये गये है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत प्राप्त आवेदनो में सबडीवीजन की समस्त शक्तियाँ स्थानीय निकाय को है अतः प्रकरण स्वीकृत किया जाता है।
02. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर पूर्व स्वीकृत मानचित्रों को निरस्त करते हुये तथा उसके स्थान पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना - 2015 के प्रावधान 3बी के तहत आवासीय योजना विकसित करने हेतु प्रस्ताव समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
03. पूर्व में स्वीकृत मानचित्रों में 11 ई.डब्ल्यू एस. एवं 11 एल.आई.जी. ईकाईयाँ भी स्वीकृत की गई है, जिसे समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
04. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान का विश्लेषण निम्ननुसार है:-

| क्र.सं. | उपयोग | प्रतिशत | भूखण्डों की सं0 |
|---------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 01 | 25 प्रतिशत भूखण्ड स्वामी | 6.24 प्रतिशत | 04 |
| 02. | एल.आई.जी. | 46.34 प्रतिशत | 42 |
| 03 | ई.डब्ल्यू एस | 6.73 प्रतिशत | 12 |
| 04 | व्यावसायिक | 2.62 प्रतिशत | 6 दूकाने |
| 05 | पार्क एवं सुविधाएं | 10.07 प्रतिशत | |
| 06 | सड़क | 28 प्रतिशत | |
| | कुल | 100 प्रतिशत | |

उक्त विश्लेषण के अनुसार ले-आउट प्लान स्वीकृत किया जाता है।

आवेदक द्वारा 25 प्रतिशत निजी उपयोग हेतु अनुज्ञेय भूमि के तहत 6.24 प्रतिशत भूमि 4 भूखण्ड (1, 14, 15, 16) के रूप में परियोजना में अलग-अलग स्थानों पर प्रस्तावित की गई है, जिसे समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

05. आवेदक द्वारा नोटिफिकेशन दिनांक 03.04.2017 के बिन्दु सं0 11 के अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की परियोजना में EWS/LIG के क्षेत्रफल के 1 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर सामुदायिक भवन का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। जिसे समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
06. परियोजना में पूर्व स्वीकृत मानचित्रों को निरस्त किए जाने के संबंध में 2 दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जावे।
07. पूर्व स्वीकृत मानचित्रों में कोई बेचान/बुकिंग नहीं किए जाने के संबंध में आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त किया जावे।

श्रीमति संध्या सैनी
सहा0 नगर नियोजक

श्रीमति हर्षिता जे कुमार
उप नगर नियोजक

श्री दिनेश कुमार नगायक
अधिसाथी अभियन्ता
(सदस्य)

श्री रतन लाल
का0 तहसीलदार
/ भू-अभिलेख निरीक्षक
(सदस्य)

श्री पूर्ण राम बेनीवाल
वरि0 नगर नियोजक
(सदस्य सचिव)

श्री नीलाम सक्सेना
मुख्य कार्यकारी
अधिकारी
(अध्यक्ष)